

Dear PNB Customer,

As per FIU-IND advisory Ref. No. F.No.27-5/SAG-I/2023/FIU-IND and Gazette notification (Govt of India) dated 07.03.2023, all Non-Profit Organization (NPO) customers must submit their DARPAN portal registration details to their base branch immediately. Non-compliance may result in: Account being marked KYC non-compliant, Freezing or closure of the account, Suspension of digital banking services. If your account is not under the NPO category, please submit a written declaration confirming the same at your base branch.

For details, call **1800 1800** or visit www.pnbindia.in.

Chief General Manager

प्रिय पीएनबी ग्राहक,

एफआईयू-आईएनडी एडवाइजरी संदर्भ संख्या एफ.सं.27-5/एसएजी-आई/2023/एफआईयू-आईएनडी तथा भारत सरकार का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 07.03.2023 के अनुसार, सभी अलाभकारी संगठन (NPO) ग्राहकों को उनकी मूल शाखा में अपने दर्पण (DARAPAN) पोर्टल पंजीकरण का विवरण तुरंत प्रस्तुत करना आवश्यक है। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप : खाते को केवाईसी (KYC) गैर-अनुपालन के रूप में चिह्नित करके, खाते को फ्रीज या बंद किया जा सकता है तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को निरस्त किया जा सकता है। यदि आपका खाता अलाभकारी संगठन (NPO) श्रेणी में नहीं है, तो कृपया इस संदर्भ में एक लिखित घोषणा अपनी मूल शाखा में जमा करें।

अधिक जानकारी के लिए, 1800 1800 पर कॉल करें अथवा www.pnbindia.in पर जाएं।

मुख्य महाप्रबंधक